



email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फेक्स-0135-2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक -425/12-12) दिनांक, मुनिकीरेती/4/09/2017।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गडवाल के अन्तर्गत धनसाली धुत्तू मोटर मार्ग कि०मी० 2 व धनसाली-कोटी-अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का प्रेषण 0.245 है०। (FP/UK/ROAD/14661/2015)

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक-481/12-1(2) दिनांक-08.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गडवाल के अन्तर्गत धनसाली धुत्तू मोटर मार्ग कि०मी० 2 व धनसाली-कोटी-अखोड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग निर्माण 0.245 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल प्रति मय तीन प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-तीन प्रतियों

भवदीय

(सुरांत पटनायक)
वन संरक्षक

संख्या -425/ , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरांत पटनायक)
वन संरक्षक

4/5

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक संख्या—FP/UK/ROAD/14661/2015.

- 14— स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नही
- 15— क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है। हाँ
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
है। संस्तुति की जाती
- संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।
तिथि: 13-09-2015
स्थान—मुनिकीरेती। हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त
मुनिकीरेती

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकू
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि.....
स्थान—मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम